यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी के माह 04/2018 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस. एस. दरियाल, श्री अजय कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री विजय कुमार मौर्य, वरि.ले.प. द्वारा दिनांक 02.02.2021 से 11.02.2021 तक श्री आर. एस. नेगी-II वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1) परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री विनय कुमार द्विवेदी, एवं श्री अजय कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 15.11.2018 से 28.11.2018 तक श्री आर. एस. नेगी-II वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2020 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2018 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी है।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** - राजस्व संग्रह एवं सम्पूर्ण जनपद टिहरी

   (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

(₹ लाख में)

वर्ष	अर्जित राजस्व
2017-18	5422.25
2018-19	9555.04
2019-20	8490.48

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**	**आवंटन**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2017-18	-	90.66	80.49	-	10.17
2018-19	-	91.92	88.41	-	3.51
2019-20	-	13.10	11.14	-	1.96

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन मुख्यालय द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

आबकारी सचिव-आबकारी आयुक्त- अपर आबकारी आयुक्त- संयुक्त आबकारी आयुक्त- उप आबकारी आयुक्त-सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी - आबकारी निरीक्षक-लिपिक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी** लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: माह 05/2018 व 01/2020 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह 03/2019 व 05/2019 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

प्रस्तर- 01 : देशी,विदेशी दुकानों के व्यवस्थापन न होने पर इन दुकानों के दैनिक आधार पर संचालन न किये जाने से राजस्व हानि।

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 01 : नियमों के विपरीत मदिरा दुकानों के संचालन के परिणामस्वरूप ₹ 09.84 करोड़ जब्त नहीं किया जाना।

प्रस्तर- 02 : अनुज्ञापियों की गतिविधियों पर नियंत्रण व्यवस्था न किया जाना।

प्रस्तर- 03 : राजस्व लक्ष्य प्राप्त न किये जाने से राजस्व हानि ₹ 28.10 करोड़।

व्यय की लेखापरीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

भाग दो 'अ'

प्रस्तर- 01 : देशी,विदेशी दुकानों के व्यवस्थापन न होने पर इन दुकानों के दैनिक आधार पर संचालन न किये जाने से राजस्व हानि।

उत्तराखंड शासन के आबकारी अनुभाग के "उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2019" की अधिसूचना संख्या॰ 126/XXIII/2019/04(04)/ 2018 देहरादून दिनांक 07॰02॰2019 के नियम 1॰1 में प्रावधान किया गया है कि वर्ष 2019-20 के लिये जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दुकानवार राजस्व का निर्धारण कर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उपरोकतानुसार मदिरा की दुकानों के निर्धारित राजस्व में ही जनपद में नई दुकानो का सृजन भी किया जा सकता है एवं नियम-4 में प्रावधान किया गया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 की किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन की प्रक्रिया में समय लगता है तो व्यवस्थापन की अवधि में दुकान का व्यापक प्रचार प्रसार के पश्चात दैनिक आधार पर संचालन किया जाएगा |

कार्यालय जिला आबकारी अधिकार टिहरी के वर्ष 2019-20 की व्यवस्थापन प्रत्रावली की जांच मे पाया गया कि जिला टिहरी को ₹ 113 करोड़ का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया | जिसके परिपेक्ष्य में जिले की 25 विदेशी मदिरा दुकानों में राजस्व निर्धारित किया गया | जिसमें 10 दुकाने विदेशी मदिरा, नवीनीकृत की गयी, ई-टेण्डर में विदेशी मदिरा दुकान के किए कोई आवेदक नहीं आया और 08 दुकाने विदेशी मदिरा प्रथम आवक प्रथम पावक तथा 04 दुकाने विदेशी मदिरा लाटरी में व्यवस्थापित हुई थी, कुल 22 दुकानों का व्यवस्थापन हुआ जिनसे ₹ 84.90 करोड़ प्राप्त हुआ, तथा शेष 03 विदेशी मदिरा की दुकानों(विवरण संलग्न) का निर्धरित राजस्व ₹21.07/- करोड़ था जिसका व्यवस्थापन नहीं हो पाया।

लेखापरीक्षा द्वारा दुकानों का व्यवस्थापन न होने के सम्बन्ध मे इगित किये जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में विदेशी मदिरा दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया गतिमान थी जिस कारण से दैनिक आधार पर नही चलायी जा सकी। निर्धारित राजस्व पर कोई आवेदन प्राप्त नहीं हो सका और शासन के द्वारा निर्धारित राजस्व के 65 प्रतिशत पर व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश विलम्ब से आया क्योकि मदिरा की बिक्री का अधिकतम व्यय अप्रैल, मई, जून होता है, जुलाई माह से मानसून आने के कारण मदिरा की बिक्री मे गिरावट आ जाती है |

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि आबकारी नीति के नियम-4 मे प्रावधान है कि किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन मे समय लगता है तो दुकान का दैनिक आधार पर संचालन किया जायेगा, परन्तु इकाई द्वारा दैनिक आधार पर संचालन नहीं किया गया, जिससे अप्रैल-19, मई-19, जून-19 एवं जुलाई-19 तक उक्त दुकान बंद थी, यदि दुकानों का दैनिक आधार पर संचालन किया गया होता तो विभाग को राजस्व प्राप्त होता | जबकि विगत वर्ष 2018-19 में उक्त 3 विदेशी मदिरा (विवरण संलग्न) की दुकानों से ही ₹18.58 करोड़ का व्यवस्थापन राजस्व प्राप्त हुआ था | उत्तराखण्ड

शासन आबकारी अनुभाग संख्या- 492/XXIII/2019/04(04)/2018 देहरादून दिनांक 21 जून 2019 के द्वारा अव्यवस्थापित मदिरा की दुकानों का पूर्व निर्धारित राजस्व का 65 प्रतिशत किया जाता है, के पश्चात भी जनपद की 03 विदेशी मदिरा के व्यवस्थापन न होने पर मुख्यालय द्वारा कोई निर्देश नहीं दिये गये | इस प्रकार स्पष्ट है कि 03 विदेशी दुकानों के व्यवस्थापन न होने पर इन दुकानों के दैनिक आधार पर संचालन न किये जाने से राजस्व हानि हुई|

अत: उक्त प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है

भाग-दो (ब)

प्रस्तर- 01 : नियमों के विपरीत मदिरा दुकानों के संचालन के परिणामस्वरूप रु. 09.84 करोड़ जब्त नहीं किया जाना।

उत्तराखंड शासन, आबकारी अनुभाग, अधिसूचना संख्या 250/XXIII/2018/04(01)/2018 देहरादून दिनांक 19 मार्च, 2018 एवं अधिसूचना संख्या 126/XXIII/2019/04(04)/2018 देहरादून दिनांक 07 फरवरी, 2019 उत्तराखण्ड राज्य में देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए नीति बिषयक नियमावली बनायी गयी है।

उक्त लिखित नियमावली के क्रमशः नियम 17 एवं नियम 5 के अनुसार आवेदक द्वारा मदिरा की दुकान के आवंटन पश्चात **निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण न करने पर आवंटित मदिरा की दुकान का आवंटन अनुज्ञापी के जोखिम पर नियमावली, 2001 यथा संशोधित के अंतर्गत निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी** तथा अनुज्ञापी द्वारा जमा किए गए समस्त राजस्व को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर दुकान का आवंटन पुनः निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

आबकारी नीति 2019-20 के नियम 5.5 के **अनुसार आवेदक को आवंटित मदिरा की दुकान का निर्धारण अनुज्ञापन शुल्क तत्काल आवंटन के समय जमा करना होगा।**

नियम 5.6 के **अनुसार प्रथम प्रतिभूति धनराशि नकद 07 दिवस एवं द्वितीय प्रतिभूति नकद अथवा बैंक गारंटी के रूप में व्यवस्थापन के 30 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा।**

आबकारी नीति 2018-19 के नियम 17 के परंतुक (1) एवं आबकारी नीति 2019-20 के नियम 5.7 के अनुसार **द्वितीय प्रतिभूति ब्यवस्थापन के क्रमशः 30 एवं 25 दिवस के भीतर जमा न करने की दशा में देशी/विदेशी मदिरा की आपूर्ति रोक दी जाएगी।**

उक्त के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय जिला आवकारी अधिकारी, टिहरी के अभिलेखों की जांच में पाया कि वर्ष 2018-19 में कुल 25 दुकानों के सापेक्ष 10 दुकानों एवं वर्ष 2019-20 में कुल ब्यवस्थापित मदिरा के दुकानों के सापेक्ष 18 दुकानों के द्वारा प्रथम प्रतिभूति एवं द्वितीय प्रतिभूति की धनराशि उल्लिखित नियमानुसार निश्चित समयांतर्गत जमा नहीं की गयी थी, प्रथम प्रतिभूति एवं द्वितीय प्रतिभूति की आंशिक धनराशि जमा करने वाले अनुज्ञाधारियों को अधिभार जमा करने पर मदिरा का उठान दिया गया, जो कि (2018-19) नीति के नियम 17

के परन्तुक (1) एवं (2019-20) के नियम 5.7 का स्पष्ट उल्लंघन था। उल्लिखित नियमानुसार राजस्व जमा नहीं करने पर मदिरा दुकानों का निरस्तीकरण किया जाना था। यदि विभाग द्वारा उल्लिखित नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये उन सभी मदिरा की फुटकर दुकानों का निरस्तीकरण किया जाता तो जमा लाइसेन्स शुल्क, आंशिक जमा प्रथम प्रतिभूति एवं द्वितीय प्रतिभूति की धनराशि वर्ष 2018-19 में ₹37792039 एवं वर्ष 2019-20 में ₹ 60614941 कुल ₹**98406980/-** (37792039 +60614941) जब्त की जाती (विवरण पत्र सलग्न)। विभाग के द्वारा नियम विरुद्ध मदिरा दुकानों का संचालन कर दुकान स्वामियों को अदेय लाभ दिया गया।

इसे इंगित करने पर जिला आबकारी अधिकारी ने "आंकड़ों एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुये बताया कि राजस्व हित को ध्यान में रखते हुये दुकानों का निरस्तीकरण नहीं किया गया"। विभाग का उत्तर तथ्यात्मक नहीं है आबकारी नीति, 2018-19 एवं 2019-20 में प्रथम प्रतिभूति एवं द्वितीय प्रतिभूति समय से जमा नहीं किए जाने की दशा में दुकानों के सापेक्ष जमा धनराशियों को जब्त कर निरस्तीकरण की कार्यवाही किया जाना था। अतः नियमानुसार निश्चित समयांतर्गत प्रथम प्रतिभूति एवं द्वितीय प्रतिभूति जमा नहीं करने वाले मदिरा दुकानों की निरस्तीकरण की कार्यवाही नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 09.84 करोड़ जब्त नहीं किया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग - II (ब)

प्रस्तर- 02 : अनुज्ञापियों की गतिविधियों पर नियंत्रण व्यवस्था न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना - 126/XXIII/2019/04(04)/2018 देहरादून दिनांक 07.02.2019 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वितीय वर्ष 2019-20 के लिए उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2019 जारी की गयी थी। नियमावली के नियम 30 द्वारा राज्य में मदिरा के व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण व पारदर्शिता के लिए सम्पूर्ण प्रणाली को Trace and Track नियम धारित किए जाने का प्रावधान किया गया था। इस प्रयोजनार्थ नियम 33 में प्रत्येक आसवनी, ब्रुवरी, बाटलिंग प्लांट, विन्टनरी, थोक अनुज्ञापन (एफ एल 2) बॉन्ड अनुज्ञापन (बी0 डब्लू एफ एल 2) बार अनुज्ञापन तथा मदिरा की फुटकर दुकानों में IP address युक्त CCTV कैमरा लगाने की व्यवस्था की जानी अनिवार्य की गयी थी, जिससे संबन्धित अनुज्ञापन की समस्त गतिविधि पर आयुक्तालय स्थित कंट्रोल रूम से नियंत्रण रखा जा सके। साथ ही साथ नियम 36 में मदिरा परिवहन करने वाले समस्त वाहनो को GPS/GPRS प्रणाली से संयोजित करना अनिवार्य किया गया था।

जिला आबकारी अधिकारी पौड़ी की लेखा परीक्षा में पाया कि गतिविधि नियंत्रण हेतु आसवनी, ब्रुवरी, बाटलिंग प्लांट, विन्टनरी, थोक अनुज्ञापन (एफ एल 2) बॉन्ड अनुज्ञापन (बी0 डब्लू एफ एल 2) बार अनुज्ञापियों द्वारा आवश्यक IP address युक्त CCTV कैमरा लगाने की व्यवस्था का कोई प्रमाण नही था एवं न ही नियम 36 के अनुसार मदिरा परिवहन करने वाले समस्त वाहनो को GPS/GPRS प्रणाली से संयोजित किए जाने का कोई प्रमाण उपलब्ध था ।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर आबकारी कार्यालय ने उत्तर दिया कि विदेशी मदिरा दुकानों आदि की CCTV कैमरा से संबन्धित सूचना आबकारी निरीक्षकों से प्राप्त कर लेखा परीक्षा को उपलब्ध करा दी जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योकि संबन्धित वर्ष (2019-20) के अनुज्ञापी के अभिलेख समयोचित प्राप्त कर कार्यालय में उपलब्ध होने थे। अभिलेख न होना इंगित करता है कि Track and Trace के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

अत: नियमावली के सापेक्ष कोई कार्यवाही न कर Trace and Track की अनुपालना नहीं की गयी थी । उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

भाग - II (ब)

प्रस्तर- 03 : राजस्व लक्ष्य प्राप्त न किये जाने से राजस्व हानि ₹ 28.10 करोड़।

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना - 126/XXIII/2019/04(04)/2018 देहरादून दिनांक 07.02.2019 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2019 जारी की गयी थी। नियमावली के नियम 1 (1.1) के अनुसार जनपदवार दुकानों के व्यवस्थापन के लिए जनपद टिहरी के लिए ₹ 113.00 करोड़ का राजस्व निर्धारित किया गया था।

जिला आबकारी अधिकारी, नई टिहरी की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र ₹ 84.90 करोड़ का राजस्व ही संग्रहीत किया गया था जो निर्धारित लक्ष्य से ₹ 28.10 करोड़ कम था। लेखा परीक्षा में यह भी पाया कि वर्ष 2019-20 में 10 दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण के माध्यम से नियम 3 के अंतर्गत ₹ 53.25 करोड़ राजस्व में व्यवस्थापन किया गया था। इन 10 दुकानों का वर्ष 2018-19 में राजस्व ₹ 35.23 करोड़ था अत: वर्ष 2019-20 में इन दुकानों से ₹ 18.02 करोड़ अधिक राजस्व प्राप्त किया गया था । परंतु वर्ष 2019-20 में वर्ष 2018-19 में प्राप्त राजस्व ₹ 95.55 करोड़ से भी ₹ 10.10 करोड़ कम राजस्व प्राप्त किया गया था ।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर आबकारी कार्यालय ने उत्तर दिया कि व्यवस्थापित दुकानों के सापेक्ष 03 दुकानों का व्यवस्थापन नहीं हो पाया, चार दुकानों का कुल राजस्व के सापेक्ष 65 प्रतिशत पर व्यवस्थापन किया गया अत: सम्पूर्ण राजस्व प्राप्त नहीं हो सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था पूर्व वर्ष से 10 दुकानों से ₹ 18.02 करोड़ अधिक राजस्व प्राप्त होने के बाद सकाल राजस्व में विगत वर्ष से भी कम राजस्व प्राप्त किया गया था जो निर्धारित वार्षिक राजस्व लक्ष्य प्राप्त न किए जाने से ₹ 28.10 करोड़ की हानी हुई ।

अत: राजस्व लक्ष्य प्राप्त न किए जाने से ₹ 28.10 करोड़ की हानी का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
69/2004-05	-	01	-
33/2008-09	-	01	-
09/2012-13	02	01,04	-
03/2016-17	-	03	-
106/2018-19	-	01,02,03,04	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बंधित प्रकरणों की अनुपालन आख्या सीधे महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत करा दी जायेगी।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री तपन कुमार पाण्डेय	(जि0आ0अधि0) (10.01.2018 से 02.03.2019)
(ii)	श्रीमती रेखा जुयाल भट्ट	(जि0आ0अधि0) (मार्च 19 से मार्च 2020)
(iii)	हरीश कुमार	(जि0आ0अधि0) (मार्च 2020 से वर्तमान तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-IV) को प्रेषित कर दी जाए।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV